	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 15, रविवार, शाके 1945-अगस्त 06, 2023 *Sravana 15, Sunday , Saka 1945- August 06, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 05, 2023

संख्या प. 9(18)राज-1/2022-(4) :-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान करती है:-

<u>जिलों का गठन/पुनर्गठन</u>

1. **डीग**-भरतपुर जिले का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला डीग गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय डीग होगा।

नवगठित डीग जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है:-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
डीग	1. डीग	डीग
		जनूथर
	2. कुम्हेर	कुम्हेर
		रारह
	3. नगर	नगर
	4. सीकरी	सीकरी
	5. कामां	कामां
		जुरहरा
	6. पहाड़ी	पहाड़ी

2. **भरतपुर**- पुनर्गठित भरतपुर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:-

जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
भरतपुर	1. भरतपुर	भरतपुर
	2. बयाना	बयाना
	3. वैर	वैर
	4. भुसावर	भुसावर
	5. रूपवास	रूपवास
		रूदावल

	6. उच्चैन	उच्चैन
	7. नदबई	नदबई

यह अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी होगी।

अपर्णा अरोरा,
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।